

UPET010061852022



न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), एटा।
उपस्थितः अली रजा, ' H.J.S.'
(J.O CODE-6011)
जमानत प्रार्थना पत्र सं०-3338 सन् 2022.

उदयवीर सिंह पुत्र कोतवाल निवासी ग्राम मौजपुर थाना जलेसर जिला एटा।

अभियुक्त

बनाम

-----उ०प्र० राज्य

धारा 138 बी. विद्युत अधिनियम
अ०सं०- 19 / 2018
थाना-जलेसर जिला एटा।
दा० वाद सं०-545 सन् 2018

15.10.2022

आदेश

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त उदयवीर सिंह की ओर से अ०सं०-19 / 2018, अन्तर्गत धारा 138 बी. विद्युत अधिनियम, थाना जलेसर जिला एटा के अभियोग में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

दौरान सुनवाई अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उनके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने का पृष्ठांकन किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त उदयवीर सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 15.10.2022

(अली रजा)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), एटा